प्रपत्र 1

[नियम 13 देखें]

शासकीय सेवक द्वारा अवकाश अथवा अवकाश वृद्धि के लिए आवेदन

1. शासकीय सेवक का नाम एवं एम्प्लाई कोड _____

2. धारित पद _____

3. अनुभाग, कार्यालय और विभाग _____

4. मूल वेतन _____

5. (एक) अवकाश की प्रकृति _____

   (दो) अवधि दिनांक.....से दिनांक.....तक

6. अवकाश से पहले/बाद में (Prefix/Suffix) जोड़े जाने के लिए प्रस्तावित सार्वजनिक अवकाश,यदि कोई हों _____

7. अवकाश का कारण _____

8. अवकाश अवधि के दौरान पता एवं मोबाईल नं. _____

शासकीय सेवक के हस्ताक्षर

(दिनांक सहित)*

अवकाश की स्वीकार्यता के संबंध में प्रमाण-पत्र

9. प्रमाणित किया जाता है कि ..... से ..... तक की अवधि के लिए ..... (अवकाश की प्रकृति) मध्यप्रदेश सिविल सेवा (अवकाश) नियम 2025 के नियम ..... के अधीन स्वीकार योग्य है।

हस्ताक्षर तथा पदनाम

(दिनांक सहित)

---

10. नियंत्रण अधिकारी की टिप्पणी और/या संस्तुति _____

हस्ताक्षर (स्थापना प्रभारी)

पदनाम

**11. अवकाश देने के लिए सक्षम प्राधिकारी _____

हस्ताक्षर (स्वीकृतकर्ता)

पदनाम

---

* शासकीय सेवक के किसी विकलांगता अथवा अन्य परिस्थिति के कारण अवकाश आवेदन प्रस्तुत करने में असमर्थता की स्थिति में नियम 13(1) के परन्तुक अनुसार शासकीय सेवक की और से परिवार के सदस्य के द्वारा हस्ताक्षर किए जा सकेगें।

** यदि आवेदक के कोई प्रतिपूरक भत्ता ले रहा है, तो अवकाश की समाप्ति पर उसे भी आदेशों में दर्शाया जाना चाहिए, कि आवेदक के उसी पद पर या समान भत्ते वाले किसी अन्य पद पर वापस लौटने की संभावना है।

Form-2

प्रपत्र 2

[See Rule 14] [नियम 14 देखें]

अवकाश लेखा Leave Account

शासकीय सेवक का नामः- .... नियमित सेवा में नियुक्ति की दिनांक.........सेवानिवृत्ति/त्यागपत्र देने की दिनांक..........

Name of the Government Servant: Date of appointment in regular service: Date of retirement/resignation:

अर्जित अवकाश EARNED LEAVE										
एक कलेण्डर वर्ष की छःमाही में सेवा का विवरण Particulars of service in the half-year of a calendar year		एक कलेण्डर वर्ष की छह माही में सेवां के पूरे माह Completed months of service in the half-year of a calendar year	छःमाही के आरंभ में क्रेडिट किया गया अर्जित अवकाश E.L. credited at the beginning of half-year	पिछली छह माही के दौरान बिना वेतन के लिए गए अवकाश के दिनों की संख्या (जो सेवा के लिए ग्राहय नहीं है। (कालम 36) No.of days of Period for which no salary was admissible (Col.36) Availed of during the previous calendar half-year	घटाया जाने वाला अर्जित अवकाश (कालम 5 की अवधि का 1/10) E.L. to be deducted (1/10th of the period in col.5)	क्रेडिट में कुल अर्जित अवकाश (दिनों में) (कॉलम 4+11-6) Total E.L. at credit in days (col.4+11-6)	लिया गया अवकाश Leave taken			अवकाश से वापस आने के बाद शेष कुल अवकाश (कॉलम 7-10) balance of E.L. on return from leave (col.7-10)
से From	तक To						से From	तक To	दिनों की संख्या No.of days	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

अर्धवेतन अवकाश (निजी मामलों और चिकित्सक प्रमाण-पत्र के आधार पर लघुकृत और अदेय अवकाश सहितHALF-PAY LEAVE (On private Affiaris&M.C. including Commuted leave & leave not due)														
एक कलेण्डर वर्ष की छःमाही में सेवा के पूरे माह Completed months of service in the half year of a calendar year	छःमाही के आरंभ में क्रेडिट किया गया अर्धवेतन अवकाश H.P.L.. credited at the beginning of half-year	पिछली छःमाही के दौरान छूट दिवस (डाईनान) माने गए दिनों की संख्या No. of the days treated as 'dienon' during the previous half-year	घटाए जाने वाले अर्ध-वेतन अवकाश (कॉलम 14 में दी गई अवधि का 1/18) H.P.L to be deducted (1/18th of the period in col. 14)	क्रेडिट में कुल अर्धवेतन अवकाश (कॉलम 35+13-15) Total H.P.L at credit in days (co. 35+13-15)	अर्धवेतन अवकाश के अर्जन के आधार पर Against earnings on half-pay			चिकित्सा प्रमाण-पत्र पर पूरे वेतन का लघुकृत अवकाश Commuted leave on medical certificate on full pay			180 दिनों तक सीमित चिकित्सा प्रमाण-पत्र के बिना लोक हित में प्रमाणित अध्ययन के लिए लिया गया लघुकृत अवकाश (90 दिनों में परिणत अर्धवेतन अवकाश पूरे सेवा काल में) Commuted leave W/O M.C. for studies certified to be in public interest limited to 180 days (H.P.L converted into 90 days commuted leave in entire service)			अर्धवेतन अवकाश में परिणत लघुकृत अवकाश (कॉलम 22 तथा 25 का दोगुना) Commuted leave converted into half pay leave (Twice of Col. 22&25)
					से From	तक To	दिनों की संख्या No.of days	से From	तक To	दिनों की संख्या No.of days	से From	तक To	दिनों की संख्या No.of days	
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

लिया गया अवकाश Leave Taken									
अदेय अवकाश पूरी सेवा में 360 दिनों तक लिया जा सकता है। LND Limited To 360 days in entire service								अवकाश से वापस आने के बाद शेष अर्ध वेतन अवकाश कॉलम (16 - 34) Balance of Half-pay leave on return from leave (col 16_34)	अन्य प्रकार लिया गया अवकाश Other kind of Leave Taken
चिकित्सा प्रमाण-पत्र के आधार पर On Medical certificate			चिकित्सा प्रमाण-पत्र से अन्यथा आधार पर 180 दिनों तक सीमित Otherwise than on M.C. limited to 180 days			अदेय अवकाश का जोड़ (कॉलम 29+32) Total leave not due (col 29+32)	लिया गया कुल अर्धवेतन अवकाश (कॉलम 19+26+33) Total Half pay leave taken (col.19+26+33)		
से From	तक To	दिनों की संख्या No.of days	से From	तक To	दिनों की संख्या No.of days				
27	28	29	30	31	32	33	34	35	36

प्रपत्र 3

[नियम 17 देखें]

शासकीय सेवकों के लिए चिकित्सीय प्रमाण-पत्र द्वारा अवकाश या अवकाश वृद्धि के लिए अनुशंसा

शासकीय सेवक के हस्ताक्षर ....., एम्प्लाई कोड.....

मैं..... श्री / श्रीमती / कु. ..... जिनके ऊपर हस्ताक्षर हैं, का उचित चिकित्सीय परीक्षण कर यह प्रमाणित करता हूँ कि वह ..... रोग से पीड़ित हैं और मैं उचित समझता हूँ कि वह अपने कार्य से दिनांक.....से ..... तक की अवधि में अवकाश लेकर आराम करें जिससे उनको स्वास्थ्य लाभ हो।

प्राधिकृत चिकित्सक

दिनांक .....

(नाम.....)

पंजीयन संख्या

टिप्पणी 1- चिकित्सा अधिकारी द्वारा, रोग का स्वरूप और उसके ठीक होने की संभावित अवधि का स्पष्ट उल्लेख किया जाए।

टिप्पणी 2- चिकित्सा अधिकारी द्वारा, शासकीय सेवक के हस्ताक्षर लेने के बाद इसे भरना चाहिए, परन्तु उसे यह अनुशांसा नहीं करना चाहिए कि शासकीय सेवक को, किसी विशेष स्थान से या वहां जाने की आवश्यकता है या किसी विशेष स्थान में जाने के लिए योग्य नहीं है।

टिप्पणी 3- अवकाश स्वीकृत करने वाला सक्षम प्राधिकारी, यदि वह उपयुक्त समझे, तो द्वितीय चिकित्सक, जो सिविल सर्जन या उसके समकक्ष प्राधिकार रखता हो, से इस प्रमाण-पत्र पर उनकी अनुशांसा प्राप्त कर सकेगा, जिनकी अनुशांसा अन्तिम होगी।

प्रपत्र 4

[नियम 23 (2)
देखें]

कर्तव्य पर उपस्थित होने के समय पूर्ण स्वस्थ होने का चिकित्सीय प्रमाण-पत्र

शासकीय सेवक के हस्ताक्षर ....., एम्प्लाई कोड.....

मैं, ...पंजीकृत चिकित्सक यह प्रमाणित करता हूँ,कि मैंने,श्री/श्रीमती/कु. ..... जिनके हस्ताक्षर ऊपर दिए गए हैं, जो.....रोग से पीड़ित थे/थी तथा जिन की मैंने सावधानी से जांच की और अब वे उस रोगावस्था से मुक्त हैं तथा शासकीय सेवा में उपस्थित होने योग्य हैं।

मैं साथ ही यह भी प्रमाणित करता हूँ कि इस निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले इनके रोग के लिए संबंधित चिकित्सक की राय और मूल चिकित्सा प्रमाण-पत्र का सम्यक् परीक्षण, मेरे द्वारा किया गया।

प्राधिकृत चिकित्सक

दिनांक ..... (नाम.....)

पंजीयन संख्या

संतान पालन अवकाश के लिए आवेदन

प्रपत्र- 5

[नियम 40 देखे]

1.	आवेदक का नाम एवं यूनिक कोड	
2.	पदनाम	
3.	विभाग/कार्यालय/अनुभाग	
4.	नियमित सेवा में उपस्थिति दिनांक	
5.	परिवीक्षा अवधि पूर्ण होने का दिनांक	
6.	संतान का नाम, जिसके लिये संतान पालन अवकाश हेतु आवेदन किया गया है	
7.	संतान की जन्म तिथि	
8.	संतान की 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने की दिनांक	
9.	क्या संतान दो सबसे बड़ों में से है? विवरण दें	
10.	<table><tr><th>क्र.</th><th>संतान का नाम</th><th>पुत्र/पुत्री</th><th>जन्मतिथि</th><th>18 वर्ष की आयु पूर्ण होने की दिनांक</th></tr><tr><td>(एक)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>(दो)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	
11.	आवेदन दिनांक को संतान पालन अवकाश की उपलब्धता	
12.	अवकाश की अवधि	दिनांक .....से .....तक कुल दिवस .....
13.	अवकाश की अवधि में पहिले/बाद में (Prefix/Suffix) यदि कोई हो तो विवरण	
14.	आवेदित अवकाश का कारण	
	(क) क्या मुख्यालय से बाहर जाने की अनुमति वांछित है? (हां/नहीं)	
	(ख) यदि हां, तो अवकाश के दौरान पता	
15.	पूर्व में लिए गए संतान पालन अवकाश (CCL) से वापसी की तिथि	
16.	18 वर्ष से कम आयु की दो ज्येष्ठ जीवित संतानों का विवरण (जन्म प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करें)	
17.	संतान पालन अवकाश की आवश्यकता के अनुक्रम में	

	स्वप्रमाणित अभिलेख (चिकित्सा/शैक्षणिक रिपोर्टकार्ड/विद्यालय-संस्थान का परीक्षा कार्यक्रम/अन्य विवरण/ की प्रति संलग्न करें।	
	दिनांक	आवेदक का नाम एवं हस्ताक्षर पदनाम कार्यालय

संतान पालन अवकाश के लिए अनुशंसा

नियंत्रणकर्ता अधिकारी की टिप्पणियां		
	अवकाश अनुशंसित/अनुशंसित नहीं	
	दिनांक	हस्ताक्षर
		पदनाम
		कार्यालय

प्रपत्र- 5 ख

संतान पालन अवकाश लेखा विवरण

1. शासकीय सेवक का नाम.....

2. पदनाम .....,

3. शासकीय सेवा में कार्यग्रहण का दिनांक.....,

4. संतानों का विवरण:-

अनुक्रमांक	संतान का नाम	पुत्र/पुत्री	जन्मतिथि	18 वर्ष की आयु पूर्ण होने की दिनांक
(एक)				
(दो)				

5. अवकाश लेखा

अनुक्रमांक	अवकाश की पात्रता	अवकाश की अवधि			शेष अवकाश अवधि (2-5)	केलेण्डर वर्ष में आवृत्ति
		दिनांक से	दिनांक तक	कुल अवकाश अवधि (4-3)		
1	2	3	4	5	6	7

(कार्यालय प्रमुख के हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा)

प्रपत्र – 6

[नियम 51 के अंतर्गत]

अध्ययन अवकाश पर जाने वाले सेवा सदस्य द्वारा निष्पादिन किया जाने वाला बंध-पत्र

सभी को ज्ञात हो कि मैं ....., निवासी ..... जिला ....., जो वर्तमान में मध्यप्रदेश सरकार के ..... विभाग में ..... के पद पर कार्यरत हूं, स्वयं को आबद्ध करता/करती हूं कि मैं, मेरे उत्तराधिकारीगण, निष्पादकगण एवं प्रबंधकगण, मध्यप्रदेश के राज्यपाल (जिसे आगे "सरकार" कहा गया है) को मांग करने पर रुपये..... (रुपये ..... मात्र) तथा उस पर मांग की तिथि से तत्समय सरकारी ऋणों पर लागू वर्तमान सरकारी ब्याज दर के अनुसार ब्याज सहित भुगतान करूंगा/करूंगी और यदि भुगतान भारत के अलावा किसी अन्य देश में किया जाता है, तो उस देश की मुद्रा में उक्त राशि के समतुल्य राशि, उस देश और भारत के बीच की आधिकारिक विनिमय दर के अनुसार परिवर्तित करके चुकाई जाएगी तथा साथ ही सरकार द्वारा वहन किए गए या किए जाने वाले वकील और ग्राहक के बीच की समस्त लागतें, शुल्क और व्यय भी अदा करूंगा/करूंगी।

यत: मुझ ..... को सरकार द्वारा अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया गया हैं।

और यत: सरकार के बेहतर संरक्षण हेतु, मैंने यह बंध-पत्र नीचे लिखी शर्तों सहित निष्पादित करने पर सहमति व्यक्त की है।

अब इस बंध-पत्र की शर्त यह है कि यदि मैं अध्ययन अवकाश की अवधि की समाप्ति या समापन के पश्चात ड्यूटी फिर से प्रारंभ करने में असफल रहता/रहती हूं या सेवा से त्यागपत्र देता/देती हूं या सेवा निवृत्त होता/होती हूं या अन्यथा सेवा का त्याग करता/करती हूं अथवा अध्ययन पाठ्यक्रम को पूर्ण करने में विफल रहता/रहती हूं या ड्यूटी पर पुनः उपस्थित होने के पश्चात् पांच वर्ष की अवधि के भीतर किसी भी समय ऐसा करता/करती हूं, तो मैं सरकार को या सरकार द्वारा निर्दिष्ट किए गए अनुसार मांग करने पर उक्त रुपये..... (रुपये..... मात्र) तथा उस पर मांग की तिथि से लागू सरकारी ऋणों की वर्तमान ब्याज दर पर ब्याज तत्काल अदा करूंगा/करूंगी।

अब ऊपर लिखित इस बंध-पत्र की एक और शर्त यह है अध्ययन अवकाश समाप्त होने के पश्चात् मेरी सेवा में वापसी पर, बंध-पत्र की अनिवार्य सेवा अवधि, मेरे द्वारा बंध-पत्र की अवधि, के दौरान लिए गए सभी प्रकार के अवकाश की कुल अवधि के बराबर अवधि तक बढ़ा दी जाएगी।

और मेरे द्वारा ऐसा भुगतान कर दिए जाने पर तब यह बंध-पत्र शून्य और अप्रभावी हो जाएगा, अन्यथा यह पूर्ण रूप से प्रभावी और वैध बना रहेगा।

मैं यह समझता/समझती हूं कि *मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965* मुझ पर अक्षरश: लागू हैं। मैं पूर्ण रूप से अवगत हूं कि यदि मैं अध्ययन अवकाश के दौरान आचरण नियमों अथवा निर्धारित दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करता/करती हूं, तो मेरे विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रारंभ की जा सकेगी।

यह बंध-पत्र भारत के वर्तमान प्रचलित विधियों द्वारा सभी प्रकार से शासित रहेगा और इसके अंतर्गत अधिकार एवं दायित्व, जहाँ आवश्यक हो, भारत के उपयुक्त न्यायालयों द्वारा निर्धारित किए जाएंगे।

हस्ताक्षरित एवं दिनांकित इस..... दिनांक को, सन दो हजार.....

साक्षी की उपस्थिति में हस्ताक्षरित एवं प्रदत्त: .....

साक्षीगण:

1 .....

2 .....

स्वीकृत
राज्यपाल की ओर से

स्पष्टीकरण: "बंध-पत्र की मुद्रा" से अभिप्रेत है वह अवधि, जिसके दौरान सेवा सदस्य की देयता सक्रिय रहती है और सरकार का पूर्वनिर्धारित तथा निर्धारित राशि की मांग करने का अधिकार जीवित रहता है, यदि सेवा सदस्य अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने में विफल रहता है।

प्रपत्र – 7

[नियम 51 के अंतर्गत]

अध्ययन अवकाश की अवधि बढ़ाए जाने पर सेवा सदस्य द्वारा निष्पादित किया जाने वाला बंध-पत्र

सभी को ज्ञात हो कि मैं ....., निवासी ..... जिला ....., जो वर्तमान में मध्यप्रदेश सरकार के ..... विभाग में ..... के पद पर कार्यरत हूं, स्वयं को आबद्ध करता/करती हूं कि मैं, मेरे उत्तराधिकारीगण, निष्पादकगण तथा प्रबंधकगण, मध्यप्रदेश के राज्यपाल (जिसे आगे "सरकार" कहा गया है) को मांग करने पर रुपये..... (रुपये ..... मात्र) तथा उस पर मांग की तिथि से तत्समय सरकारी ऋणों पर लागू दर के अनुसार ब्याज सहित भुगतान करूंगा/करूंगी। और यदि भुगतान भारत के अलावा किसी अन्य देश में किया जाता है, तो उस देश की मुद्रा में उक्त राशि के समतुल्य राशि, उस देश और भारत के बीच की आधिकारिक विनिमय दर के अनुसार परिवर्तित करके अदा की जाएगी तथा साथ ही, मैं सरकार द्वारा वहन की गई या वहन की जा सकने वाली वकील और ग्राहक के बीच की सभी लागतें, शुल्क एवं व्यय भी अदा करूंगा/करूंगी।

यतः मुझ, ..., को सरकार द्वारा अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया गया है।

और यतः, सरकार के बेहतर संरक्षण हेतु, मैंने नीचे लिखी शर्तों सहित यह बंध-पत्र निष्पादित करने पर सहमति व्यक्त की है।

अब इस बंध-पत्र की शर्त यह है कि यदि मैं अध्ययन अवकाश की अवधि की समाप्ति होने या उसके समाप्त किए जाने के पश्चात ड्यूटी फिर से प्रारंभ करने में असफल रहता/रहती हूं या सेवा से त्यागपत्र देता/देती हूं या निवृत्त होता/होती हूं या अन्यथा सेवा का त्याग करता/करती हूं अथवा अध्ययन का पाठ्यक्रम पूरा करने में असफल रहता/रहती हूं या ड्यूटी पर पुनः उपस्थित होने के पश्चात् पांच वर्ष की अवधि के भीतर किसी भी समय ऐसा करता/करती हूं, तो मैं सरकार को या सरकार द्वारा निर्देशित किए जाने पर मांग करने पर उक्त रुपये..... (रुपये..... मात्र) तथा उस पर मांग की तिथि से लागू सरकारी ऋणों पर उस समय प्रभावी ब्याज दर के अनुसार ब्याज सहित तत्काल भुगतान करूंगा/करूंगी।

अब ऊपर लिखित इस बंध-पत्र की एक और शर्त यह है कि मेरे द्वारा प्राप्त अध्ययन अवकाश की समाप्ति के पश्चात् निर्धारित सेवा अवधि के अनुसार जो सेवा अनिवार्य है, उसकी अवधि में मेरे द्वारा बंध-पत्र की अवधि के दौरान लिए गए किसी भी प्रकार के अवकाश की कुल अवधि के बराबर अवधि की वृद्धि की जाएगी।

मेरी द्वारा ऐसा भुगतान कर दिए जाने पर यह बंध-पत्र शून्य और अप्रभावी हो जाएगा, अन्यथा यह पूर्ण रूप से प्रभावी और वैध बना रहेगा।

मैं यह समझता/समझती हूं कि मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 मुझ पर अक्षरशः लागू हैं। मैं पूर्ण रूप से अवगत हूं कि यदि मैं अध्ययन अवकाश के दौरान आचरण नियमों अथवा निर्धारित दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करता/करती हूं, तो मेरे विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रारंभ की जा सकेगी।

यह बंध-पत्र भारत के वर्तमान प्रचलित विधियों द्वारा सभी प्रकार से शासित रहेगा और इसके अंतर्गत अधिकार एवं दायित्व, जहाँ आवश्यक हो, भारत के उपयुक्त न्यायालयों द्वारा निर्धारित किए जाएंगे।

हस्ताक्षरित एवं दिनांकित इस..... दिनांक को, सन दो हजार.....

साक्षी की उपस्थिति में हस्ताक्षरित एवं प्रदत्त: .....

साक्षीगण:

1 .....

2 .....

स्वीकृत
राज्यपाल की ओर से

स्पष्टीकरण: "बंध-पत्र की मुद्रा" से अभिप्रेत है वह अवधि, जिसके दौरान सेवा सदस्य की देयता सक्रिय रहती है और सरकार का पूर्वनिर्धारित तथा निर्धारित राशि की मांग करने का अधिकार जीवित रहता है, यदि सेवा सदस्य अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने में विफल रहता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित–2025.